फा.सं. 1-2/2015-पीडी-2

भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

कृषि भवन, नई दिल्ली

दिनांक : 31 जुलाई, 2015

सेवा में,

सचिव,

खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग,

सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

विषय : शपथ पत्र को समाप्त करने और स्व-प्रमाणन को बढ़ावा देने के बारे में प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग की सिफ़ारिशों का प्रेषण।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विभिन्न जन सेवाएँ प्रदान करते समय शपथ पत्रों को समाप्त करने और दस्तावेजों के स्व-प्रमाणन को बढ़ावा देने के लिए सरकार की पहल के अनुपालन के संबंध में प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने निर्देश जारी किए हैं। इस मामले की समीक्षा विशेष सचिव, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में भी की गई थी। इस बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार विभागों को अब उन मामलों की सूची प्रस्तुत करना अपेक्षित है, जिनमें आवेदकों/हितधारकों को अभी भी दस्तावेजों की राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत प्रमाणित प्रतियाँ प्रस्तुत करने अथवा शपथ पत्र प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है।

2. इसके अलावा, उक्त बैठक में यह सिफ़ारिश की गई थी कि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा राशन कार्ड जारी करते समय व्यक्तियों को दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियाँ अथवा शपथ पत्र प्रस्तुत करने के लिए नहीं कहा जाना चाहिए और राशन कार्ड जारी करने के लिए स्व-प्रमाणित दस्तावेज़ स्वीकार करने चाहिए।

3. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से उक्त सिफ़ारिश का अनुपालन करने और अनुपालन रिपोर्ट इस विभाग को दिनांक 10.08.2015 तक भेजने का अनुरोध किया जाता है।

4. इसे संयुक्त सचिव (बीपी, पीडी) के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

भवदीय,

सुनील

(सुनील चौहान)

अवर सचिव, भारत सरकार